बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 102/आ०/ पटना, दिनांक 29.1.18

सं० सं०–05/उ० नि० ब० (आवंटन) 05/2017

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र, पटना।

विषय :– **मुख्य शीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–102–लघु उद्योग, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0001–प्रदर्शन केन्द्र, विपत्र कोड– 23-2851.00.102.0001 के अन्तर्गत गैर योजना (स्थायी) कार्यालयों के स्थापना व्यय हेतु वर्ष 2017–18 में रू0 7,00,000/– (सात लाख रूपये) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना से संबंधित व्यय को वहन करने हेतु कुल **रू0 7,00,000/– (सात लाख रूपये)** मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में आय–व्ययक शीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–102–लघु उद्योग, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0001–प्रदर्शन केन्द्र, विपत्र कोड–23-2851.00.102.0001 के अन्तर्गत विकलित होगा। राशि का मदवार वितरण निम्नवत् होगा :–

क्र.	कार्यालय	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	मदवार आवंटित राशि (रू0)				
			वेतन 0001.01.01	जीवन यापन भत्ता 0001.01.03	मकान किराया भत्ता 0001.01.04	चिकित्सा भत्ता 0001.01.06	योग–वेतनादि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बेंत बांस अनुशिक्षण वर्ग, परेव, पटना	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना	1,40,000	1,89,000	14,000	7,000	3,50,000
2	कांसा पीतल, अनुशिक्षण वर्ग, परेव, पटना।	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना	1,40,000	1,89,000	14,000	7,000	3,50,000
3	**योग**		**2,80,000**	**3,78,000**	**28,000**	**14,000**	**7,00,000**

3 यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2017–18 मे स्थापना व्यय वहन करने हेतु दिया जा रहा है।

4 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि0(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :–

(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) एक इकाई की राशि दूसरी इकाई में व्यय नहीं की जाय।

(ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग–1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

(घ) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी0 भी0 नं0/बिल नं0 एवं मासिक CTMIS प्रतिवेदन के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

कृ0 पृ0 उ0

(च) 2017–18 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2018 तक अवश्य भेज दें।

(छ) मुख्य बजट शीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–102–लघु उद्योग, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0001–प्रदर्शन केन्द्र, विपत्र कोड–23-2851.00.102.0001 के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में **रू0 7,00,000/– (सात लाख रूपये)** मात्र के आवंटन के आलोक में सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के स्थापना खर्च की गणना कर ली जाय। इस संबंध में वित्त विभाग के प्रासंगिक आदेश की कंडिका–11 में निहित अनुदेश का अनुपालन किया जाय। यदि आवंटन से अधिक राशि की आवश्यकता हो तो पूर्ण औचित्य एवं पदवार व्यय के साथ कारणों को दिखाते हुए शीघ्र सूचित करें।

विश्वासभाजन

29/1

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 102/उनि0/ पटना, दिनांक 29.1.18

प्रतिलिपि :– संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/1

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 102/उनि0/ पटना, दिनांक 29.1.18

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए0सी0–डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/प्रशाखा–05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारियों के अधिकृत ई–मेल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/1

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।